न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री कैलाश चन्द मीना आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 34/2007/अपील/एल0आर0एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांक 22.2.2007
किस्म अपीलः धारा 39 राज0 कृषि विकास निगम अधि0 1956

उनवान

1. तहसीलदार पदेन सहायक भू अभिलेख अधिकारी, सी0ए0 डी0 कोटा।
2. सहायक अभियंता खेत सुधार उपखण्ड तृतीय सी0 ए0 डी0 केशोरायपाटन जिला बूंदी।

..... अपीलार्थी

बनाम

1. रघुनाथ पुत्र सुखा बलाई निवासी टाकरवाडा की झोंपडिया तहसील के0 पाटन जिला बूंदी।
2. बाबूलाल
3. प्रभूलाल
   पिसरान रामदेव बलाई निवासी ग्राम टाकरवाडा।
4. मुस0 बरदी बेवा रामदेव निवासी टाकरवाडा
5. रामकरण
6. तेज्या
7. गिरधारी
   पिसरान भैरया जाति बलाई निवासीगण टाकरवाडा की झोंपडिया तहसील के0 पाटन जिला बूंदी।

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री सैफुद्धीन अंसारी राजकीय अभि0 अपीलार्थी

:: निर्णय ::

दिनांक 20.9.2021

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर बूंदी द्वारा प्रकरण सं. 21/मुत्त0/03 बउनवान रघुनाथ बनाम तहसीलदार एंव पदेन सहायक भू–अभिलेख अधिकारी सीएडी कोटा वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 18.4.2006 के विरूद्ध अपील राजस्थान कृषि विकास निगम अधि0 1956 की धारा 39 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि रेस्पो0 क्रम–1 रघुनाथ द्वारा प्रार्थना पत्र राज0 कृषि विकास निगम अधिनियम,1956 की धारा 32 के तहत अति0 कलक्टर एंव उपायुक्त सीएडी कोटा के न्यायालय मे पेश किया गया जिसे उक्त न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को स्थानान्तरित किया गया। रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे वर्णित किया गया कि ग्राम करिरिया तह0 के0 पाटन मे आराजी ख0 सं0 67 रकबा 3.10 है0 मे उसका 1/3 हिस्सा एंव बाबूलाल, प्रभूलाल, मु0 बरदी एंव रामकरण का 1/3 का हिस्सा 1/3 सहखातेदार तथ्या तेज्या व गिरधारी का हिस्सा 1/3 सहखातेदार दर्ज थे दौराने सेटलमेंट ब्लाक पीपल्दा मे वर्ष 1998–99 मे उक्त ग्राम मे खेत सुधार हेतु उक्त भूमि का अस्थाई कब्जा लिया था तथा विकास कार्य के पश्चात वापस जो आराजी संभलाई गई उसका रकबा 2.57 है0 ही कर दिया जबकि सामान्य कटौती 0.21 है0 की जाकर शेष 2.89 है0 भूमि सहखातेदारान के नाम दर्ज की जानी चाहिये थी। अतः कमी रकबा पूर्ण किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 क्रम–1 रघुनाथ द्वारा उक्त आशय के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सीएडी के0 पाटन को यदि 0.36 है0 भूमि किसी अन्य को आवंटन नही की गई हो तथा मौके पर उक्त आराजी सिवायचक दर्ज करदी गई हो तो नियमानुसार मौके की जांच उपरांत पक्षकारान को दी जाने का दिनांक 18.4.2006 को निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी तहसीलदार पदेन सहायक भू–अभिलेख अधिकारी सीएडी कोटा वगेरा द्वारा अपील न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय कानून एंव तथ्यों के विरूद्ध है क्योंकि रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा प्रार्थना पत्र निराधार तथ्यो पर पेश किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यो देखे बिना अपीलांट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य/दस्तावेज पर गौर किये बिना ही जैरपील निर्णय पारित किया है। प्रार्थना पत्र सर्वना आफटर थोर्ट पेश किया है, जो पोषणीय नही है। वास्तविकता यह है कि खसरा नम्बर 67 रकबा 3.10 हैक्टर

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

भू. सुधार हेतु भूमि अधिग्रहित की गई थी, जो भू सुंधार के बाद सामान्य कटौती एवं अन्य संक्रियाओ में पूर्व से ही अवाप्त भूमि को छोडकर शेष 2.57 है0 भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज रकबे के मुकाबले उपलब्ध भूमि के अनुसार ही मौका अनुसार रिअलोटमेंट किया गया है। फर्द राजस्व रेकार्ड में 3.10 हैक्टर भूमि दर्ज थी परन्तु फर्द इक्त्लाफ के विशेष विवरण के कॉलम में अंकित नोट के अनुसार मौके पर खसरा नम्बर 67 में कम भूमि उपलब्ध होने से तदनुसार ही आवंटन किया गया है। इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही कर भूल की है। केचमेंट से पूर्व जमीन मेन ड्रेन में गई है। मेन ड्रेन का रेवन्यु एवं इरिगेशन के रेकार्ड में दर्ज नही है ऐसी स्थिति में प्रार्थी ने रेस्पो. नम्बर 1 को मुआवजा प्राप्त करने की कार्यवाही करना चाहिए थी। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी का निर्णय दिनांक 18.4.2006 निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण में बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट सुनी गई। रेस्पो. एवं उनके अभिभाषक दौराने बहस उपस्थित नही है।

3 विद्वान राजकीय अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए अपील मेमो में लिखित तथ्यो को दोहराया तथा कथन किया कि वाद ग्रस्त खसरा नम्बर में से रकबा 0.32 है0 केंचमेंट से पूर्व ही मौके पर मेन ड्रेन निकली हुई है मेन ड्रेन की भूमि पर कृषक का कब्जा ही नही था। ऐसी स्थिति में मौके पर काबिल काश्त रकबा 2.78 है0 में से नियमानुसार 0.21 है0 भूमि की सामान्य कटौती की जाकर नवीन खसरा नम्बर 200 से रकबा 2.57 है0 रकबा संभलाया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथ्यहीन होने से खारिज किये जाने योग्य था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो साक्ष्यो, दस्तावेजो पर गौर किये बिना ही जैरअपील निर्णय दिनांक 18.04.2006 से पारित कर दिया जो विधिविरूद्व होने से काबिल निरस्तनीय है।

4 रेस्पो0 एवं उनके अभिभाषक उपस्थित नही हुए।

5 हमने पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान राजकीय अभिभाषक अपीलांट पर मनन किया। हस्तगत अपीलं प्रकरण वर्ष 2007 से न्यायालय में विचाराधीन होकर आज बहस में जैरकार है। रेस्पो0 एवं उनके अभिभाषक उपस्थित नही है। अतः प्रकरण को गुणागुण के आधार पर निस्तारित किया जाना न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि रेस्पो0 सहखातेदारान की ग्राम करिरीया विस्थित उक्त वर्णित आराजी खसरा संख्या 67 रकबा 3.10 है0 वर्ष 1998–99 में केचमेंट ब्लाक पीपल्दा में केंचमेंट कार्य किया गया है। बाद केचमेट कार्य मुताबिक फर्द इख्तलाफ पीपल्दा के, खसरा नम्बर 67 रकबा 3.10 है. में से सामान्य कटौती 0.21 है0 की गई है। उक्त खसरा नम्बर 67 के नवीन नम्बर 206 कायम कर रकबा 2.57 है0 संभलाया गया है। जबकि सामान्य कटौती के बाद रेस्पो0 शेष रकबा संभलाया जाना था। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि केचमेंट से पूर्व ही मौके पर मेन ड्रेन निकली हुई है तथा मैन ड्रेन की भूमि मे कृषक का कब्जा नही पाये जाने से मौके पर उपलब्ध काबिल काश्त रकबा 2.78 है0 मे से 0.21 है0 की सामान्य कटौती की जाकर नवीन ख0 नं0 206 रकबा 2.57 है0 संभलाया गया है। पत्रावली मे उपलब्ध उक्त आधार अभिलेख,राजस्व रिकार्ड अनुसार अपीलांट का उक्त तर्क आधारहीन होने से स्वीकार्य नही है। क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने जेरअपील निर्णय दिनांक 18.4.2006 मे समुचित तथ्यों का विवेचन करते हुये स्पष्ट वर्णित किया है कि मुताबिक आधार अभिलेख नक्शे एंव इख्तलाफ 1998–99 के क्रम सं0 11 मे नवीन खसरा नम्बर 207 रकबा 0.15 है0, खसरा नम्बर 208/1 रकबा 0.10 है0 तथा ख0 नं0 210 रकबा 0.11 है0 कुल 0.36 है0 अंकित है जो गत खसरा नम्बर 67 के बने है मे से सामान्य कटौती 0.21 है0 की जाकर कमी रकबा 0.32 है0 खातेदारान को मौके पर उक्तानुसार भूमि उपलब्ध होने एंव अन्य को आवंटन नही होने की स्थिति मे सिवायचक रकबा होने पर नियमानुसार दी जा सकती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार सीएडी के0 पाटन को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

है कि यदि 0.36 है0 भूमि किसी अन्य को आवंटन नही की गई हो तथा मौके पर उक्त आराजी सिवायचक दर्ज कर दी गई हो तो नियमानुसार मौके की जांचोपरांत पक्षकारान की दी जावे। अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय मुताबिक राजस्व रेकार्ड, नक्शे एंव इख्तलाफ 1998–99 केचमेट ब्लाक पीपल्दा, अनुसार न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजाइंश नही है। लिहाजा अपीलांट तहसीलदार सीएडी के0 पाटन जिला बूंदी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक18.4.2006 की पालना सुनिश्चित करें। उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती है।

6 निर्णय आज दिनांक 20.9..2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षरित न्यायालय की मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(कैलाश चन्द मीन)
संभागीय आयुक्त
कोटा